FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम–मण्ड़ावर (दौसा)

उनवान विजेन्द्र कुमार बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार मंडावर

किस्म मुकदमा –नाम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 21 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु०नं०– 21/23 (MISS) (RCMS NO– 2023/105	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
14-06-23	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम कोट में प्रार्थी विजेन्द्र कुमार यादव ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोट की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 383 में विश्राम पुत्र कैलाश हिस्सा 1/3 जाति अहीर सा.देह खातेदार दर्ज है जबकि मेरा समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विजेन्द्र कुमार यादव दर्ज है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम विश्राम के स्थान पर जिजेन्द्र कुमार दुरुस्त किये जाने के हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र ताईद में दस्तावेजात शपथ–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश किये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का कोट, भू0अ0नि0 हल्दैना तहसीलदार मंडावर एवं ग्राम पंचायत की संयुक्त जॉच रिपोर्ट में ग्राम कोट की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 383 में विश्राम पुत्र कैलाश हिस्सा स्थान पर विजेनद्र कुमार पुत्र कैलाश दुरुस्त किये जाने की अभिषंशा की गई। पटवारी हल्का कोट, भू0अ0नि0 हल्दैना एवं तहसीलदार मंडावर व ग्राम पंचायत कोट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया , प्राथी का नाम विश्राम के स्थान पर विजेन्द्र कुमार होना पाया गया। उपरोक्त विवेचरन के आधार पर ग्राम कोट की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 383 में विश्राम पुत्र कैलाश अशुद्व नाम के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोट जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 383 में विश्राम पुत्र कैलाश अशुद्व नाम के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश दर्ज किया जावे। शेष इन्द्रजात/ जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मंडावर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर,, फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। (भावना शर्मा, RAS) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा) शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राजस्थान सरकार